International Research Journal of Humanities, Language and Literature
ISSN: (2394-1642)
Impact Factor 5.401 Volume 4, Issue 5,May 2017
Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)
Website-www.aarf.asia, Email : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

पंचायती राज संस्थाएँ एवं दलित महिला सशक्तिकरण

Dr Anita Tanwar

Associate Professor in Political Science

Govt college krishan nagar Haryana Distt Mahendergarh (HARYANA)

सार

भारत में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत के विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह व्यवस्था न केवल ग्रामीण विकास में बल्कि महिला सशक्तिकरण, विशेषकर दलित महिलाओं के सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जिसने दलित महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान किया। पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक शासन का आधार हैं। इन संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी ने न केवल ग्रामीण विकास के आयाम को बदला है बल्कि महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण ने उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया है। इससे न केवल महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है बल्कि उनके नेतृत्व कौशल का भी विकास हुआ है। दलित महिलाएँ भारतीय समाज में सबसे अधिक वंचित वर्गों में से एक हैं। वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से कई चुनौतियों का सामना करती हैं। पंचायती राज संस्थाओं में दलित महिलाओं के लिए आरक्षण ने उन्हें इन चुनौतियों का सामना करने में मदद की है। इसने उन्हें अपनी आवाज उठाने और अपने समुदाय के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया है।

मुख्य शब्द

पंचायती, राज, संस्थाएँ, दलित, महिला, सशक्तिकरण

© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

भूमिका

दलितों का सशक्तिकरण एक ऐसा विषय है जो भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में गहराई से जुड़ा हुआ है। सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था ने दलितों को समाज के सबसे निचले तबके में रखा है और उन्हें कई तरह के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। दलितों के सशक्तिकरण का अर्थ है उन्हें समाज में समानता का दर्जा देना, उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए सशक्त बनाना।

पंचायती राज भारत की प्राचीनतम लोकतांत्रिक परंपराओं में से एक है, जो सदियों से ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग रही है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें स्थानीय स्तर पर शासन का अधिकार गांव के लोगों को दिया जाता है। पंचायतें, जो ग्राम सभाओं से चुनी जाती हैं, विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने और स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के लिए जिम्मेदार होती हैं।

पंचायतों का इतिहास प्राचीन भारत से जुड़ा हुआ है। वेदों और पुराणों में पंचायतों का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में भी पंचायतें एक महत्वपूर्ण संस्था थीं। इस काल में, गांव के प्रमुख को 'ग्राम भोजक' कहा जाता था, जो पंचायत का अध्यक्ष होता था। ब्रिटिश शासन के दौरान, पंचायतों का महत्व कम हो गया। ब्रिटिश सरकार ने अपने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कदम उठाए, जिससे पंचायतों की भूमिका सीमित हो गई।

भारत की स्वतंत्रता के बाद, पंचायतों को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए गए। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर, 1957 में राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। इसके बाद, देश के अन्य हिस्सों में भी पंचायती राज व्यवस्था को धीरे-धीरे लागू किया गया।

1992 में, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संशोधन के तहत, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को संवैधानिक मान्यता दी गई। इसके साथ ही, पंचायतों को संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य दिए गए।

हालांकि, पंचायती राज व्यवस्था का पूर्ण रूप से कार्यान्वयन अभी भी एक चुनौती है। कई पंचायतें अभी भी राजनीतिक दखल और वित्तीय संसाधनों की कमी से जूझ रही हैं। इसके अलावा, ग्रामीण लोगों की जागरूकता और भागीदारी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

पंचायती राज भारत की लोकतांत्रिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह ग्रामीण लोगों को सशक्त बनाने और स्थानीय स्तर पर विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि, पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना होगा।

जाति व्यवस्था के कारण दलितों को आज भी समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें शिक्षा, रोजगार और अन्य सामाजिक अवसरों से वंचित रखा जाता है। दलितों का अधिकांश हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है। उनके पास भूमि, शिक्षा और कौशल का अभाव होता है, जिसके कारण वे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं।

दलितों को राजनीतिक प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। इससे उनकी समस्याओं को दूर करने में बाधा आती है। दलित बच्चों के पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सीमित होती है। इससे उनके समग्र विकास में बाधा आती है। दलित समुदाय में कई सामाजिक कुरीतियाँ जैसे कि बाल विवाह, छूआछूत आदि प्रचलित हैं, जो उनके सशक्तिकरण में बाधा डालती हैं।

दलित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। इसके लिए सरकार को शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देना चाहिए और दलित बच्चों को छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए। दलितों के आर्थिक विकास के लिए सरकार को उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए, कौशल विकास कार्यक्रम चलाने चाहिए और उन्हें ऋण उपलब्ध कराना चाहिए।

समाज में जातिवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। लोगों को जातिवाद के दुष्परिणामों के बारे में बताना चाहिए और उन्हें दलितों के प्रति समानता का भाव विकसित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए बने कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। दलित महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।

पंचायती राज संस्थाएँ एवं दलित महिला सशक्तिकरण

दलितों का सशक्तिकरण एक जटिल मसला है, जिसके लिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग आवश्यक है। सरकार, गैर सरकारी संगठन और आम जनता को मिलकर इस दिशा में प्रयास करने होंगे। दलितों को मुख्यधारा में लाने के लिए हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर कई बदलाव लाने होंगे।

महिलाओं के लिए आरक्षण एक ऐसा विषय है जो भारतीय समाज में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विभिन्न दृष्टिकोण हैं और जिसके कई आयाम हैं।

आरक्षण का अर्थ है किसी विशेष समूह के लोगों के लिए किसी संस्था या संगठन में प्रवेश या पदोन्नति के लिए कुछ सीटें आरक्षित करना। इसका उद्देश्य उन समूहों को सशक्त बनाना होता है जो सामाजिक, आर्थिक या अन्य कारणों से पिछड़े हुए हैं।

महिलाएं सदियों से भारतीय समाज में असमानता और भेदभाव का सामना करती रही हैं। उन्हें कई क्षेत्रों में पुरुषों के समान अवसर नहीं मिले हैं। राजनीति, प्रशासन, और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महिलाओं का

प्रतिनिधित्व बहुत कम रहा है। महिलाओं के लिए आरक्षण का उद्देश्य इस असमानता को दूर करना और उन्हें सशक्त बनाना है।

आरक्षण से महिलाओं को राजनीति और प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर मिलता है। इससे महिलाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित होता है और नीति निर्माण में महिलाओं की आवाज सुनवाई जाती है। आरक्षण से लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है और महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा मिलता है। महिलाओं की भागीदारी से समाज का विकास होता है। महिलाएं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में नए विचार और दृष्टिकोण लाती हैं। आरक्षण से महिलाओं का सशक्तीकरण होता है और वे आत्मनिर्भर बनती हैं।

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से दलित महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे होता है?

राजनीतिक सशक्तिकरण: पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के माध्यम से दलित महिलाओं को राजनीतिक सत्ता में भागीदारी का अवसर मिलता है। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और वे अपने समुदाय के मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से उठा सकती हैं।

सामाजिक सशक्तिकरण: पंचायती राज संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से दलित महिलाएँ अपने समुदाय में एक मजबूत नेतृत्व प्रदान करती हैं। इससे उनके सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और वे अपने समुदाय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

आर्थिक सशक्तिकरण: पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से दलित महिलाएँ विकास योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। इससे उन्हें आर्थिक विकास के अवसर प्राप्त होते हैं और वे अपने परिवार और समुदाय के जीवन स्तर में सुधार ला सकती हैं।

जागरूकता में वृद्धि: पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी के माध्यम से दलित महिलाएँ अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होती हैं। इससे वे अपने अधिकारों का दावा करने में सक्षम होती हैं और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ सकती हैं।

हालांकि पंचायती राज संस्थाएँ दलित महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियाँ हैं। इनमें सामाजिक पूर्वाग्रह, शिक्षा का अभाव, आर्थिक असमानता और राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप शामिल हैं।

कुछ लोग महिला आरक्षण का विरोध करते हैं। उनके कुछ प्रमुख तर्क निम्नलिखित हैं:

योग्यता पर आधारित चयन: वे मानते हैं कि किसी भी पद के लिए चयन योग्यता के आधार पर होना चाहिए, न कि लिंग के आधार पर।

पुरुषों के साथ भेदभाव: वे मानते हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षण से पुरुषों के साथ भेदभाव होता है।

आरक्षण से प्रतिभा का दमन: वे मानते हैं कि आरक्षण से योग्य उम्मीदवारों को अवसर से वंचित किया जाता है।

आरक्षण एक अस्थायी उपाय है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें मुख्यधारा में लाना है। एक बार जब महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाएंगी और उन्हें समान अवसर मिलेंगे, तो आरक्षण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

निष्कर्ष

पंचायती राज संस्थाएँ दलित महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हैं। हालांकि अभी भी कई चुनौतियाँ हैं, लेकिन सरकार और समाज को मिलकर इन चुनौतियों का सामना करना होगा। पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाकर और दलित महिलाओं को अधिक सशक्त बनाकर हम एक समतामूलक समाज का निर्माण कर सकते हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण एक जटिल मुद्दा है जिस पर विभिन्न दृष्टिकोण हैं। हालांकि, यह स्पष्ट है कि महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना और उन्हें सशक्त बनाना आवश्यक है। महिला आरक्षण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल महिलाओं के लिए बल्कि समाज के लिए भी फायदेमंद है।

सन्दर्भ

1. बुच, निर्मला, 2015, 73वें संशोधन के बाद मध्य प्रदेश में पंचायती राज, महिला चेतना मंच, भोपाल। (माइमियो)

2. दत्ता, बिसाखा (संपादक) 2015: और चपातियाँ कौन बनाएगा? महाराष्ट्र में सभी महिला पंचायतों का एक अध्ययन

3. भारत सरकार: 2014 स्थानीय स्वशासन की केंद्रीय परिषद की चौथी बैठक की कार्यवाही नई दिल्ली 1958 पैरा 9.1। पृष्ठ 48 और 162

4. पांडा, एस. (2015)। "उड़ीसा में ग्रामीण महिलाओं के बीच नेतृत्व का सशक्तीकरण पैटर्न", इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, खंड 42. संख्या 3-4

5. भारती, डॉ. आई.जे. (2014)। "पंचायतों में महिलाओं का 50% आरक्षण: लैंगिक समानता की ओर एक कदम", उड़ीसा

6. राजपूत पी (2015), भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी: सशक्तिकरण का एजेंडा, प्रोमिला कपूर में "भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण" प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 226-

7. महिलाओं की स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति (2015), भारत में महिलाओं की स्थिति पर रिपोर्ट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। पृ.34

8. पंचायती राज मंत्रालय (2010), पंचायती राज संस्थाओं में ईडब्ल्यूआर पर अध्ययन, भारत सरकार, नई दिल्ली